(

झारखण्ड सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

सं० 2455 रॉंची, दिनांक 09/05/18

माननीय विभागीय मंत्री के अनुमोदनोपरान्त विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक 693 दिनांक 05.02.2016 के आलोक में सर्वश्री झारखण्ड अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी लिमिटेड (जुडको लि०) की निदेशक पर्षद की 11वीं बैठक दिनांक 20.05.2016 में लिए गये निर्णय के क्रम में विश्व बैंक संपोषित योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु सर्वश्री झारखण्ड अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी लिमिटेड (जुडको लि०) के अन्तर्गत विश्व बैंक कोषांग का गठन किया गया है।

2. प्रसंगाधीन विभागीय अधिसूचना के द्वारा विश्व बैंक कोषांग के सम्यक् संचालन एवं नियमित अनुश्रवण हेतु राज्य स्तर पर निदेशक, राज्य शहरी विकास अभिकरण को नोडल पदाधिकारी घोषित किया गया है तथा नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा चयनित योजनाओं के संचालन एवं नियमित अनुश्रवण हेतु जुडको लि० को परियोजनाओं की कार्यकारी संस्था नामित किया गया है।

3. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में विश्व बैंक के ई–मेल दिनांक 04.01.2016 एवं 02.02.2016 के आलोक में निम्नांकित कर्मियों से संविदा आधारित सेवाएँ प्राप्त करने हेतु जुडको लि० में **"विश्व बैंक कोषांग"** गठित किया गया, जिस पर होने वाले व्यय का वहन तत्काल विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई राशि से किया जा रहा है एवं कालक्रम में इसकी प्रतिपूर्ति विश्व बैंक से प्राप्त होने वाली राशि से कर ली जाएगी :–

1. Project Director
2. Deputy Project Director (DPD)
3. Senior Municipal Engineer
4. Civil Engineer
5. Urban Planner/Urban Designer
6. Environmental Specialist
7. Social Specialist
8. Procurement Specialist
9. Contract Management Specialist
10. Institutional Development Specialist
11. Financial Management Specialist

4. उल्लेखनीय है कि आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा स्क्रीनिंग कमिटी की 77वीं बैठक दिनांक 21.11.2017 द्वारा झारखण्ड राज्य के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक संपोषित Jharkhand Urban Infrastructure Investment Program (JUIIP) नामक योजना की स्वीकृति 4250.00 करोड़ की लागत पर प्रदान की गई है।

5. तदनुसार नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा Asian Development Bank के माध्यम से राज्य के शहरी क्षेत्रों में आधारभूत संरचनाओं के विकास हेतु वित्तीय संपोषण के उद्देश्य के प्रस्ताव तैयार किए जाने की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए माननीय विभागीय मंत्री के अनुमोदनोपरान्त विभागीय

(

अधिसूचना ज्ञापांक 5088, दिनांक 08.08.2017 के द्वारा सर्वश्री जुडको लि० के अन्तर्गत **"विश्व बैंक कोषांग"** के नाम को परिवर्तित कर **"बाह्य सम्पोषित परियोजना प्रबंधन कोषांग"** कर दिया गया है, जिसके सम्यक् संचालन एवं नियमित अनुश्रवण हेतु राज्य स्तर पर निदेशक, राज्य शहरी विकास अभिकरण को नोडल पदाधिकारी घोषित किया गया।

6. कालक्रम में एशियन डेवलपमेंट बैंक के ई–मेल दिनांक 07.11.2017 के आलोक में **"बाह्य सम्पोषित परियोजना प्रबंधन कोषांग"** हेतु स्वीकृत कार्मिको के पदों के अलावा पर्यावरण एवं सामाजिक प्रक्षेत्र के निम्नांकित दो अतिरिक्त विशेषज्ञों से संविदा आधारित सेवा प्राप्त करने का आग्रह किया गया :

1. Environmental Specialist
2. Social Specialist

7. तदनुसार नगर विकास एवं आवास विभाग के अन्तर्गत गठित बाह्य संपोषित परियोजना प्रबंधन कोषांग में कंडिका–3 में वर्णित पदों के अतिरिक्त Environment Specialist एवं Social Specialist से संविदा आधारित सेवाएँ प्राप्त किए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। प्रसंगाधीन विशेषज्ञों की कार्य विवरणी, शैक्षणिक अर्हता एवं अनुभव के संबंध में भी एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा वांछित सूचनाएँ उपलब्ध कराई गई है, जिन्हे दृष्टिगत रखते हुए अपेक्षित सेवाएँ प्राप्त की जाएगी।

8. कंडिका (7) में निहित प्रस्ताव पर माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

8.5.18

(अरुण कुमार सिंह)
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक– 01/सा0स्था0–32/2016/न0वि0आ0 2455 **राँची,दि0–** 09/05/18

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री के प्रधान आप्त सचिव/योजना–सह–वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची/सभी प्रमंडलीय आयुक्त, झारखण्ड/सभी उपायुक्त, झारखण्ड/निदेशक, नगरीय प्रशासन निदेशालय/निदेशक, राज्य शहरी विकास अभिकरण/नगर निवेशक, नगर निवेशन संगठन/प्रबंध निदेशक, जुडको लिमिटेड, राँची/सभी शहरी स्थानीय निकाय/नगर विकास एवं आवास विभाग के सभी पदाधिकारी/नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, नगर विकास एवं आवास विभाग/अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरंडा, राँची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8.5.18

सरकार के अपर मुख्य सचिव।